

**विद्युत सेवा आयोग  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिंग  
(उ०प्र० सरकार का उपकरण)  
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)  
वित्त खण्ड, फेज-२, गोमती नगर, लखनऊ-२२६  
CIN : U32201UP1999SGCO24928**

विज्ञापन सं० ०९ / VSA / २०२२ / EA

लें। एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों द्वारा अम-

केल पटों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में प्रतियोगी

उनकों से अपेक्षित क्लैर औंटारियो प्राया के

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिंगो एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत "कार्यकारी सहायक" के पद हेतु, निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यवितरण रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :

### 1. रिक्तियों का विवरण :-

क्रम संख्या	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy layer)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	26	कार्यकारी सहायक Executive Assistant	416	103	278	216	20*

\* लपरोक्त पदों में अनुसूचित जनजाति(बैकलॉग) के 08 पद सम्मिलित है।

- उपरोक्त रिप्रिटयों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग के पास सुरक्षित है।
  - आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
  - उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  - विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की रिप्रिटि में ॲन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

**2. वेतनमानः—** वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 में वेतनमान ₹0 27,200-86,100 एवं अन्य भूत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग में लागू नियमानुसार देय होंगे।

### 3. सामान्य अर्हतायें :-

(i) राष्ट्रीयता	<p>सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) भारत का नागरिक हो, या</li> <li>(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या</li> <li>(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश के निया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवृत्तजन (Migrate) किया हो:</li> </ul> <p>प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो।</p> <p>प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।</p> <p>अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।</p>
(ii) अयु	<p>दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम - 21 वर्ष</p> <p>दिनांक 01.01.2022 को अधिकतम - 40 वर्ष</p>

